288

पत्र संख्या–सं0का01/वि0मं0(सदस्यों)4023/2006–................/

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग

प्रेषक,

श्री अखिलेश्वर प्रसाद गिरि,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

कोषागार पदाधिकारी,
सचिवालय कोषागार,
सिंचाई भवन, पटना।

पटना, दिनांक .... मार्च, 2007

विषय : ***माननीय मंत्रियों एवं माननीय विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन विपत्र पर आयकर की देनदारी से संबंधित स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में।***

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि वित्तीय अधिनियम, 2006 के आलोक में माननीय मंत्रियों/माननीय विधान मण्डल के सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2006–07 एवं कर निर्धारण वर्ष 2007–08 से क्षेत्रीय भत्ता एवं सभी अन्य भत्ते सीमित सीमा रू0 2000.00 (दो हजार) मात्र तक तथा सत्कार भत्ता को आयकर से मुक्त कर दिया गया है। सुलभ प्रसंग के लिए संबंधित प्रावधानों की छायाप्रति संलग्न है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(अखिलेश्वर प्रसाद गिरि)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–..........677............/ पटना, दिनांक–.....12.....मार्च, 2007

प्रतिलिपि– वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा/ सचिव, बिहार विधान परिषद/ ~~माननीय~~ सभी मंत्रियों के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं वित्तीय अधिनियम, 2006 के छायाप्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न।

सरकार के सचिव।

F:\My Documents\12-03-2007.doc

1. वेतन स्रोत से आय
(Income from Salary)

किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा की गई सेवाओं के बदले जो पारिश्रमिक दिया जाता है वह वेतन कहलाता है। इस पारिश्रमिक में नियोक्ता द्वारा दी जानेवाली द्रव्य तुल्य सुविधाएं भी शामिल होती है।

हरेक वित्तीय वर्ष के लिए आयकर वार्षिक आधार पर लिया जाता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले 31 मार्च तक का होता है। वेतनादि से आयकर वार्षिक आधार पर उद्ग्रहीत होता है किन्तु सुविधा के लिए उसकी वसूली प्रत्येक माह वेतन से की जाती है।

वेतन से प्राप्त होनेवाली आय से आयकर की कटौती स्रोत पर ही की जाती है। आयकर अधिनियम की धारा 192 के अधीन वेतन भुगतान करने वाले अधिकारी (सरकारी कर्मचारियों के मामले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) का यह उत्तरदायित्व है कि वह वेतन शीर्ष के अन्तर्गत प्रभार्य आयकर की कटौती वर्ष के दौरान होने वाली आकलित आय के अनुसार तत्समय प्रवृत आयकर की दरों के आधार मर हर माह दिए जाने वाले वेतन से करें। यदि कोई सरकारी कर्मचारी या लोक उपक्रम के कर्मचारी को पिछले वर्षों के बकाए का या अग्रिम वेतन का भुगतान किया जाता हो और वह आयकर अधिनियम की धारा 89 की उपधारा-1 के अधीन उन बकायों या अग्रिमों पर कर राहत प्राप्त करने का हकदार हो तो वह ऐसे बकायों या अग्रिमों से सम्बन्धित सत्यापित विवरण उस पदाधिकारी को देगा, जिस पर आयकर कटौती करने की जिम्मेवारी हो। ऐसा विवरण दिए जाने पर वह पदाधिकारी आयकर की कटौती करते समय इस मद्दे अनुमान्य राहत की भी गणना करेगा। यदि कर्मचारी को सम्पत्ति आदि से कोई अन्य व्यक्तिगत आय होती हो तो उसकी गणना करने की जिम्मेवारी संबंधित कर्मचारी की ही है और आयकर विवरणी दाखिल करते समय वह ऐसी आय की भी गणना करेगा।

आयकर अधिनियम की धारा 192 (2-B) के अधीन, यदि किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त ऐसे अन्य शीर्षों से भी उसी वर्ष में आय होती हो जिस पर आयकर लगना हो, तो वह उसके सम्बन्ध में उस पदाधिकारी को विवरण देगा जो स्रोत पर उसके वेतन से आयकर की कटौती करने का जिम्मेवार हो, तत्पश्चात् वह पदाधिकारी उस आय और उस आय से पहले ही काटे गए आयकर की भी गणना करेगा। किन्तु इसके लिए शर्त यह भी है कि ऐसी अन्य आय की गणना करने पर उसका प्रभाव काटे जाने वाले आयकर को घटाने का न हों। किन्तु यह भी कि 'गृह सम्पत्ति से आय' शीर्ष के अधीन यदि कोई हानि हो तो उसे 'वेतन शीर्ष' की आय से घटाया जा सकेगा।

1. वेतन

आयकर अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत निम्नलिखित आय, वेतन स्रोत से आय माना जाता है:-

(i) सभी प्रकार के वेतन (छुट्टी वेतन, बकाया वेतन और अग्रिम वेतन सहित)
(ii) बोनस
(iii) महंगाई भत्ता/राहत
(iv) सभी प्रकार के क्षतिपूरक भत्ते
(v) मकान किराया भत्ता (कुछ छूट के साथ)
(vi) मकान किराया रहित आवासीय मकान का मूल्य
(vii) प्राप्त आवर्त्तक अथवा अनावर्त्तक फीस की राशि
(viii) मानदेय
(ix) निर्वाह अनुदान भत्ता

(x) अन्तरिम सहायता

(xi) ओभर टाइम भत्ता

(xii) पेंशन

2. परन्तु इसमें निम्नांकित प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है

(I) निवृति उपदान/मृत्यु उपदान;

(II) एक मुश्त पेंशन (पेंशन रूपान्तरण की राशि);

(III) छुट्टियों का नकदीकरण;

(iv) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर भुगतान;

(v) वर्दी भत्ता और सत्कार भत्ता;

(vi) चिकित्सा सम्बन्धी किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति राशि जो 15,000 रु. से अधिक न हो 15,0 रु. से अधिक राशि आय में सम्मिलित की जाएगी।

(vii) लिभ-ट्रैभल कन्सेशन की राशि;

(viii) भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अन्तर्गत आनेवाली भविष्य निधि की सभी प्रकार के भुगतान;

(ix) सशस्त्र सैन्य बल के सदस्य (पारा मिलिटरी बल के सदस्य सहित) जो असमाजिक तत्वों के साथ मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए हो, उनके परिवार के पात्र सदस्य को भुगतेय पारिवारिक पेंशन की राशि भी आयकर की देयता से विमुक्त है।

(x) सेवा निवृत सेवक, जिन्हें 'परमवीर चक्र' अथवा 'माहवीर चक्र' अथवा 'वीर चक्र' से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, द्वारा प्राप्त पेंशन की पुरी राशि आयकर से विमुक्त है। इन कोटि के पेंशन धारकों के मृत्योपरान्त परिवार के पात्र सदस्य को भुगतान की जानेवाली पारिवारिक पेंशन की राशि भी आयकर से मुक्त है।

3. विभिन्न प्रकार के भत्ते (करमुक्त)

यात्रा, परिवहन, विशेष शहरी क्षतिपूर्ति और अन्य विशेष भत्ते

1. निम्नलिखित विशेष भत्ते या लाभ जो कर्त्तव्यों के निर्वाह के लिए किये गये खर्चों की पूर्ति के लिए दिए गए हों, उस राशि तक कर मुक्त होंगे जो इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वास्तव में खर्च की गई हो:

(क) दौरे या स्थानांतरण पर यात्रा भत्ते के साथ निजी समान की पैकिंग और परिवहन के लिए दी गई राशि।

(ख) दौरे पर या स्थानांतरण पर यात्रा की अवधि के लिए दैनिक भत्ता।

(ग) कार्यालयी कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिए परिवहन भत्ता, बशर्त्ते नियोक्ता द्वारा मुफ्त परिवहन की व्यवस्था न की गयी हो।

(घ) किसी सहायक पर किये गये खर्च की पूर्ति के लिए दिया गया भत्ता, जब वह सहायक कार्यालयी कर्त्तव्यों के निष्पादन में सहायता के लिए रखा गया हो।

(ङ) किसी शैक्षणिक और शोध संस्थान द्वारा, शैक्षिक शोध और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए दिया गया भत्ता।

(च) कार्यालयी कर्त्तव्यों के निर्वाह के समय पहनने के लिए वर्दी खरीदने या उसके रखरखाव के लिए वर्दी भत्ता।

[धारा 10(14)(i)नियम2BB(1) के साथ]

2. किसी कर्मचारी को उसके व्यक्तिगत खर्चों की पूर्ति के लिए या जिस स्थान पर वह नौकरी करता है या आम तौर पर रहता है वहां उसके जीवन यापन के खर्चों में बढ़ोतरी की क्षतिपूर्ति के लिए दिये गए निम्न भत्ते (ऐसे भत्ते जो कर्मचारी को उसके कार्यालय या रोजगार से सम्बन्धित विशेष प्रकार के कार्यों

[1][47. **Interest received** by a non-resident or a not ordinarily resident in India, on **a deposit made on or after 1.4.2005 in an Offshore Banking Unit**.] [Sec. 10(15)(viii)]

48. **Any payment made by an Indian Company** engaged in the business of operation of aircraft to acquire an aircraft or an aircraft engine (other than a payment for providing spares, facilities or services in connection with the operation of leased aircraft) on lease from the Government of a foreign State or a foreign enterprise under an agreement entered before 1.4.1997 or after 31.3.1999 but before [2][1.4.2007] and approved by the Central Government. [Sec. 10(15A)]

49. **Scholarships** granted to meet the cost of education. [Sec. 10(16)]

50. **Allowances of MPs and MLAs :**
   (a) Any daily allowance received by Members of Parliament or any State Legislature.
   (b) Any allowance received by any Member of Parliament under the Members of Parliament (Constituency Allowance) Rules, 1986.
   [3][(c) *All other allowances upto Rs. 2,000 p.m., in the aggregate received by member of any State Legislature or any committee thereof.*[4]]
   [5][(d) Any constituency allowance received by any member of any State Legislature under any Act or rules made by it.] [Sec. 10(17)]

51. **Any amount in connection with the award** (in cash or in kind) instituted in the public interest by Central/State Government or approved by the Central Government or as rewards by the Central/State Government for approved purposes.[6] [Sec. 10(17A)]

52. **Pension/Family Pension received by a Central or State Government employee** who has been awarded Param Vir Chakra/Maha Vir Chakra/Vir Chakra/other notified[7] gallantry award, or by his family. [Section 10(18)]

53. **Family Pension received by a widow/children/nominated heirs, of a member of the armed forces** (including para-military forces), who died in the course of operational duties, in prescribed circumstances and subject to prescribed conditions.[8] [Sec. 10(19)]

1. Inserted vide Special Economic Zones Act, 2005, w.e.f. 10.2.2006.
2. Substituted for "1.4.2006" vide Finance Act, 2006, w.e.f. 1.4.2007 i.e. A.Y. 2007-08. Earlier, subs. for "1.10.2005" by Taxation Laws (Amdt.) Act, 2005, w.e.f. 1.4.2006 i.e. A.Y. 2006-07.
3. Omitted vide Finance Act, 2006, w.e.f. 1.4.2007 i.e. A.Y. 2007-08.
4. See Notification No. 11458 [F.No. 200/21/98-IT(A-I)], dt. 7.8.2000.
5. Inserted vide Finance Act, 2006, w.e.f. 1.4.2007 i.e. A.Y. 2007-08.
6. Swatantrata Sainik Pension Scheme, 1980, has been notified for this purpose vide Order F. No. 199/22/99-ITA-I, dt. 2.2.2000. Source : M.F. (Dept. of Rev.) PIB Press Release dated 28.4.2000.
7. Gallantry awards notified in this regard are – Ashok Chakra, Kirti Chakra, Shaurya Chakra, Sarvottam Jeevan Raksha Padak, Uttam Jeevan Raksha Medal, Jeevan Raksha Padak, President's Police Medal for Gallantry, Police Medal for Gallantry, Sena Medal, Nao Sena Medal, Vayu Sena Medal, Fire Services Medal for Gallantry, President's Police and Fire Services Medal for Gallantry, President's Fire Services Medal for Gallantry, President's Home Guards and Civil Defence Medal for Gallantry and Home Guards and Civil Defence Medal for Gallantry, vide Notification No. 11561 [F. No. 142/29/99-TPL], dt. 24.11.2000.
8. Circumstances and conditions have been prescribed under Rule 2BBA.